पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 45(प्र०)/आ०प्र० दिनांक 18.05.2012 द्वारा पटना जिला को पूर्व निर्धारित दर पर अतिरिक्त 100 टेंटो का क्रय किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में विगत वर्ष 2011 में एतदर्थ प्राप्त निविदाओं में से स्वीकृत निविदादाता फर्म मेसर्स वॉक्सोटेक्स इंटरप्राइजेज (M/s Waxotax Enterprises), 38 इंडस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पोस्ट–तिलरथ, जिला–बेगूसराय, बिहार द्वारा गत वर्ष की स्वीकृत दर पर टेंटो की आपूर्ति करने संबंधी व्यक्त की गई लिखित सहमति एवं समर्पित एकरारनामा के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 658/आ०प्र० दिनांक 13.07.2012 द्वारा संबंधित फर्म को Family Ridge Tent (Double Fly) Sizee(4 X 4 meter outer height 2.15 mtr. with complete accessories.)-50 एवं Tent Extendable Size (4 X 4 meter with accessories.)-50 कुल 100 (एक सौ) टेन्टों की आपूर्ति का आदेश दिया गया था, जिसके आलोक में फर्म द्वारा निविदा में समर्पित नमूने के अनुरूप मात्र 50 Family Ridge Tent (Double Fly) Sizee(4 X 4 meter outer height 2.15 mtr. with complete accessories.) की आपूर्ति की गई है। पुनः मेसर्स वॉक्सोटेक्स इंटरप्राइजेज (M/s Waxotax Enterprises), 38 इंडस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पोस्ट–तिलरथ, जिला–बेगूसराय, बिहार को निम्नांकित विशिष्टयों एवं शर्तो के अध्यधीन 50 अतिरिक्त Family Ridge Tent (Double Fly) Sizee(4 X 4 meter outer height 2.15 mtr. with complete accessories.) टेन्ट की आपूर्ति का आदेश दिया जाता है।

क्रमांक	सामग्री का नाम	आकार	मात्रा	स्वीकृत दर प्रति टेन्ट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	**Family Ridge Tent (Double Fly) Size**	**4 X 4 meter outer height 2.15 mtr. with complete accessories.**	**50**	**17,100.00** (सत्रह हजार एक सौ) रूपया सभी कर एवं मार्ग व्यय सहित	सभी ऐससरीज के साथ

1. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा टेन्ट की आपूर्ति नमूना के अनुरुप सभी ऐससरीज के साथ निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार करनी होगी।
2. आपूर्ति किये जाने वाले टेन्ट की गुणवत्ता जांच महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पटना, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल द्वारा नामित अभियंता एवं अंचल अधिकारी, पटना सदर की संयुक्त टीम के द्वारा की जायेगी।

3. आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्त्ति इस आदेश के निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना समाहरणालय, पटना में करनी होगी जिसमें विफल रहने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपूर्ति हेतु कोई भी अग्रिम एवं परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।

4. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक करों की कटौती के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

5. आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XLI-01/2013 144 /आ०प्र०, पटना दिनांक 12/02/2013

प्रतिलिपि :– मेसर्स वॉक्सोटेक्स इंटरप्राइजेज (M/s Waxotax Enterprises), 38 इंडस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पोस्ट–तिलरथ, जिला–बेगूसराय, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पटना, /जिला लेखा पदाधिकारी, पटना/ कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल एवं अंचल अधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।